A-6 (   ) BOT/2019 -20 Date :-

समक्ष स्टेन्डिंग कमेटी फोर सेटेलमेंट डिस्प्यूट

मैसर्स एस.एस.एन्टरप्राईजेज — परिवादी

बनाम

परियोजना निदेशक यूनिट – कोटा, आर.एस.आर.डी.सी. — अप्रार्थी

निर्णय :–

सम्बन्धित प्रकरण के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि परियोजना निदेशक कोटा द्वारा टोल रोड कोटा–धरनाबदा पर दिनांक 29.08.2016 में निविदा जारी कर दिंनाक 15.09.2016 तक प्रस्ताव आंमत्रित किये गये थे। परिवादी निविदा कर्ता के साथ कई अन्य निविदा कर्ताओं द्वारा प्रस्ताव प्राप्त हुये। प्रार्थी की निविदा उच्च दर पर प्राप्त होने पर टोल संचालन का कार्यादेश परिवादी को दिया गया। कार्यादेश के अनुसार उपरोक्त टोल रोड संग्रहण का कार्य 24 माह के लिए दिनांक 01.10.2016 से प्रारम्भ तथा दिनांक 30.09.2018 तक नियमित रूप से बिना किसी विवाद के टोल संग्रहण का कार्य किया गया। परिवादी को उक्त कार्य आदेश की अनुपालना में तीन टोल प्लाजा पर टोल संग्रहण का कार्य आंवटित किया गया था। टोल संग्रहण प्लाजा कुण्डी से पूर्व परवन नदी के गउघाट पुल का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त होने के कारण प्रशासनिक स्तर पर यातायात को दिनांक 11.08.2017 से 06.10.2017 तक मल्टीएक्सेल ट्रक के आवागमन को रोका गया तत्पश्चात दिंनाक 07.10.2017 से 13.11.2017 तक सभी प्रकार के वाहन के आने व जाने पर रोक लगाई गई जिसके परिणाम स्वरूप टोल प्लाजा कुण्डी पर उपरोक्त अवधि में टोल संचालन का कार्य बन्द रहा।

संवेदक परिवादी द्वारा उपरोक्त वर्णित अवधि में टोल प्लाजा कुण्डी पर टोल संग्रहण नही होने के बावजूद संविदा में निर्धारित किश्त नियमित रूप से आर.एस.आर.डी.सी. में जमा कराई। जमा कराई गई किश्त एवं अन्य मदों के अनुरूप 85,49,388 रूपये का क्लेम दिंनाक 16.12.2017 को अप्रार्थी कोटा को प्रदत्त किया गया। अप्रार्थी द्वारा संवेदक परिवादी का क्लेम निष्पादित नही करने के कारण संवेदक द्वारा उक्त क्लेम निस्तारण हेतु अपना क्लेम अनुबन्ध की धारा 33 के अनुसार अप्रार्थी को प्रस्तुत कर समक्ष स्टेन्डिंग कमेटी फोर सेटेलमेंट डिस्प्यूट को प्रेषित करने हेतु अनुरोध किया गया।

BRINDRA SINGH
NANAGER (ROAD)
RSRDC LTD JAIPUR

JAJMENT

अप्रार्थी परियोजना निदेशक द्वारा परिवादी का क्लेम उचित माध्यम से पत्र दिनांक 17.09.2019 को मुख्यालय को भेंजा गया।

मुख्यालय स्तर पर कार्यालय आदेश क्रमांक 28607 दिनांक 03.01.2020 द्वारा समक्ष स्टेन्डिंग कमेटी फोर सेटेलमेंट डिस्प्यूट का गठन किया जाकर दिनांक 08.01.2020 को सुनवाई के नोटिस जारी किया गया। नियत तिथि पर उभयपक्षकारान उपस्थित हुये, अप्रार्थी द्वारा क्लेम परिवाद का जवाब देने हेतु दिनांक 11.02.2020,13.03.2020 को समय चाहा गया। अग्रिम तारीख पेशी दिनांक 17.03.2020 को प्रतिपक्ष द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। परिवादी द्वारा जवाब का जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा गया एवं दिनांक17.07.2020 को 37,15,120/– रूपयें का संशोधित क्लेम प्रस्तुत किया गया ।

परिवादी का कथन है कि टोल संग्रहण कार्य को अप्रार्थी द्वारा 94 दिवस तक रोका गया। इस अवधि में उनके (परिवादी) द्वारा निर्धारित किश्त को नियमित रूप से जमा कराया गया। टोल प्लाजा बन्द रहे अवधि में औसतन आने व जाने वाले वाहन के आधार पर ही पूर्ण रूप से संशोधित क्लेम 37,15,120/– का निम्न प्रकार प्रस्तुत किया है।

परिवादी द्वारा दिनांक 11.08.2017 से 31.08.2017 तक (21 दिन) 87 मल्टीएक्सेल ट्रक के लिए रूपयें 5,66,370/–, दिनांक 01.09.2017 से 06.10.2017 तक (36 दिन) 91 मल्ट्रीऐक्सेल ट्रक के लिए रूपयें 10,19,466/– तथा दिनांक 07.10.2017 से 13.11.2017 तक (37 दिन) 113 ट्रैक्टर– ट्रोली, 357 कार, 33 बस, 37 5टन से कम ट्रक, 16 5टन से ज्यादा के ट्रक तथा 91 मल्टीऐक्ससेल ट्रक के लिए रूपयें 19,38,227/– कुल कूंडी टोल पर रूपयें 35,24,063/– की टोल वसूली कम होना सूचित किया गया। प्रार्थी द्वारा इसमें से रूपयें 1,76,203/– का टोल रिलाईजेसन कम किया गया है। तथा 10.97 प्रतिशत टेन्डर प्रीमियम जोडकर कुल रूपयें 37,15,120/– का नुकसान दर्शाया किया गया है। अप्रार्थी परियोजना निदेशक यूनिट– कोटा का कथन है कि परिवादी द्वारा प्रस्तुत संशोधित क्लेम रूपयें 37,15,120/– प्रस्तुत किया गया हैं इसमें मूलरूप से रूपयें 35,24,063/– टोल प्लाजा कुण्डी पर टोल संग्रहण रोके जाने के कारण औसतन बन्द के दौरान गुजरते विभिन्न वाहन के आधार पर टोल वसूली कम होने के कारण मांग की गई है। परिवादी का यह क्लेम स्वीकार करने में कोई आपत्ति नही है मात्र इस पर आपत्ति है कि उपरोक्त वांछित वसूली राशि रूपयें 33,47,807/– पर 10.97 प्रतिशत टेण्डर

BRIJENDRA SINGH
MANAGER (ROAD)
RSRDC LTD JAIPUR

प्रीमियर स्वीकार किया जाये अथवा नही?। इसी प्रकार परिवादी के क्लेम में से 10 प्रतिशत संवेदक को देय संवेदक परिलाभ को दिया जाये अथवा नही?

निर्णय :— उभयपक्षकारान को सुना गया, उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का अनुशीलन व विवेचन किया गया। समिति के सदस्यों का एकमत है कि परिवादी द्वारा मासिक किश्त की दर सामान्य रूप से टोल संग्रहण के अनुसार आर.एस. आर.डी.सी. में जमा की गई है जिसमें 10 प्रतिशत संवेदक परिलाभ सम्मिलित है। परिवादी संवेदक को जो राशि टोल प्लाजा बन्द के दौरान प्राप्त नही हुई उसी की भरपाई की जानी है। समिति के सभी सदस्यों का मत है कि परिवादी संवेदक को बन्द के दौरान प्राप्त नही हुई राशि रूपयें 33,47,807/— के साथ ही 10.97 प्रतिशत टेन्डर प्रीमियम राशि रूपयें 3,67,260/— कुल राशि रूपयें 37,15,120/— दिया जाना न्यायोचित है।

अतः परिवादी का संशोधित क्लेम स्वीकार करते है रूपयें 37,15,120/— लौटाये जाना समिति उचित समझती है तथा संशोधित क्लेम रूपयें 37,15,120/— स्वीकार किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 06.08.2020 को पारित किया गया है।

प्रबन्धक (बी.ओ.टी)   वरिष्ठ विधि अधिकारी   मुख्य वित्तीय अधिकारी

महाप्रबन्धक 06/08/2020   प्रबन्ध निदेशक 6/8/20